

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-विदिशा (म.प्र.)

☎ (07592) 234520, 233302 Fax- 237854, 233302 E-mail- deovidisha@gmail.com

विदिशा, दिनांक .08.2018

// संशोधित कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक/क्यू/09/सा.नि./2018/ विधानसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2018 को सफल संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य संपादित किए जाने हेतु जिले में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य निर्वाचन कार्य का विभाजन इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/क्यू/09/सा.नि./2018/1508 दिनांक 09.08.2018 के माध्यम से किया गया था जिसमें अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन को और अधिक युक्तियुक्तपूर्ण बनाने के लिये निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। यह आदेश मात्र संशोधित अधिकारी/कर्मचारी से संबंधित है। शेष अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेगा। उन्हें सौंपे गए कार्यों को नियत समयावधि में सम्पन्न करावेंगे तथा प्रगति से मुझे प्रतिदिन अवगत करावेंगे।

प्रभारी अधिकारियों के साथ जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संलग्न किया जा रहा है, वे संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य पूर्ण करने के लिये उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी अपनी सहायता हेतु अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, "मतदान दल प्रकोष्ठ" के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराना होंगे, जिनकी ड्यूटी मतदान दल गठन प्रकोष्ठ प्रभारी संबंधित अधिकारी की सहायता हेतु तत्काल लगाकर आदेश प्रसारित करेंगे।

(1) डॉ पंकज जैन, अपर कलेक्टर, (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा

सौंपे गये दायित्व :-

- कम्प्यूनिकेशन प्लान
- शिकायत प्रकोष्ठ
- MCC
- पोलिंग स्टॉफ वेलफेयर

1. विधानसभा निर्वाचन 2018 का कम्प्यूनिकेशन प्लान का संद्यारण, समितियों का गठन एवं निर्वाचन प्रारंभ से समाप्ति तक प्रभावी क्रियान्वयन।
2. कम्प्यूट्रीईजेशन कार्य/एस.एम.एस. मानीटरिंग एवं कम्प्यूनिकेट समन्वय का कार्य समयावधि में आयोग के निर्देशानुसार संपन्न कराना।
3. आर.ओ लेविल के कम्प्यूनिकेशन प्लान एवं जिलास्तर का प्लान एवं उसमें लगने वाले कर्मचारी/अधिकारी का चयन कर आदेश जारी कराना।
4. मतदान दलों के प्रशिक्षण, सामग्री वितरण व सामग्री प्राप्ति स्थल पर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वेलफेयर संबंधी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करवाना।

5. विभिन्न राजनैतिक दलों जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करवाकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल को प्रेषित करना।
6. चुनाव घोषित होने के उपरांत राजनैतिक दलों व अभियर्थियों को तथा अन्य चुनाव से संबंधित व्यक्तियों से आदर्श आचरण संहिता की जानकारी देना व संपूर्ण चुनाव होने के दौरान आदर्श आचरण संहिता का पालन करवाने हेतु सभी कार्यवाही सुनिश्चित करना।
7. राजनैतिक दलों से संपर्क विधि और व्यवस्था के लिए आचार संहिता का अनुपालन एवं स्थायी समिति की बैठक।

सहायक अधिकारी :-

1. श्री गौरव सिंघई, प्रभारी कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विदिशा
2. श्री सुरेश खांडेकर, डी.पी.सी, विदिशा
3. श्री नीरज भार्गव, डीएमओ, विदिशा

सहायक कर्मचारी :-

1. श्री सुबोध शिवडे, स्टेनो जिला पंचायत विदिशा
2. श्री महेन्द्र कुलश्रेष्ठ, सहायक अधीक्षक, जिला पंचायत विदिशा
3. श्रीमति सुमन तिवारी, प्रोग्रामर. जिला शिक्षा केन्द्र विदिशा
4. श्री संजय जैन सहायक ग्रेड-3 जिला पंचायत विदिशा

(2) श्री विवेक कुमार, सहायक कलेक्टर, जिला विदिशा

सौंपे गये दायित्व :-

- क्रिटिकल एवं बलनरेबल मतदान केन्द्रों की मैपिंग प्रकोष्ठ
 - निर्वाचन व्यय प्रकोष्ठ
1. सभी रिटर्निंग ऑफिसर व पुलिस अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित कर क्रिटिकल व बलनरेबल मतदान केन्द्रों की मैपिंग करवाना।
 2. बलनरेबल मतदान केन्द्रों पर बलनरेबल मतदाताओं की **Confidence** बिल्डिंग एक्टिविटीज की समीक्षा कर इन मतदाताओं को मतदान करने हेतु प्रेरित करने के लिए किए गये उपायों की रिपोर्टिंग करना।
 3. बलनरेबिल्टी जिन व्यक्तियों के कारण है उनके विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक/दंडात्मक कार्यवाहियों की समीक्षा कर जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करना।
 4. व्यय मॉनिटरिंग व्यवस्था के प्रभारी अधिकारियों द्वारा यदि कोई समस्या व्यक्त की जाती है तो उसका समाधान करना।
 5. जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

सहायक अधिकारी :-

1. श्री अश्विनी परिहार जिला कोषालय अधिकारी
2. श्री आर.एस. मरकाम वाणिज्यकर अधिकारी, विदिशा
3. श्री पवन कुमार अहिरवार, जिला पंजीयक, विदिशा
4. श्री सुधीश कमल, सहायक श्रम पदाधिकारी, विदिशा
5. श्री मनोज राय, लेखा अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा

6. श्री कमलेश जैन, सहा.ग्रेड-2, कार्यालय कलेक्ट्रेट विदिशा

सहायक कर्मचारी :-

श्री संजय सक्सेना, राजस्व निरीक्षक नजूल शाखा कलेक्ट्रेट विदिशा

(3) श्री मकसूद अहमद, डिप्टी कलेक्टर विदिशा

सौपे गये दायित्व :-

- ईव्हीएम प्रकोष्ठ
- चुनाव सामग्री व्यवस्था एवं वितरण
- मतदान उपरांत सामग्री प्राप्ति
- मतगणना

1. ई.व्ही.एम. मशीन एवं मतदान प्रक्रिया के सुचारु रूप से संचालन हेतु मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देना तत्पश्चात मास्टर ट्रेनर्स की सहायता से मतदान दलों को तथा जोनल आफिसर को प्रशिक्षित करना।
2. निर्वाचन में उपयोग के लिये मतदान मशीनों की जांच करना/कंट्रोल यूनिट एवं बेल्ट यूनिट चेकिंग तथा प्रदर्शन की रिपोर्ट भेजना।
3. मतदान यूनिट की तैयारी, नियंत्रण यूनिट की तैयारी, मतपत्र लगाना अभ्यर्थियों के जिन बटनों का प्रयोग न करना हो, उन पर मास्क चढ़ाना स्लाईड स्विच को सेट करना। नियंत्रण यूनिट तैयारी, बैटरी लगाना निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सेट करना एवं मोहरबंद किया जाना।
4. मतदान मशीनों के अभिलेखों का रखा जाना, मतदान दल को मतदान मशीनों का प्रदाय एवं मतदान मशीनों के लिये आवश्यक मतदान सामग्री।
5. मतदान रजिस्टर का प्रदाय, मतदाता पर्ची, एड्रेस, टेग/विशेष एड्रेस, टेग एवं स्ट्रिप सील का उपयोग करना।
6. मतदान के लिये मतदान मशीनों को तैयार कर वितरण के लिये उपयुक्त व्यवस्था करना उपर्युक्त भवन की व्यवस्था, सुरक्षा आदि का प्रबंध करना, मतदान के पश्चात प्राप्त सीलबंद मतदान मशीन तथा सीलबंद पेकेटों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए स्ट्रॉंग रूप का चयन करना।
7. मतदान के पश्चात गणना केन्द्रों पर सीलबंद मतदान मशीनों की अभिरक्षा तथा सुरक्षित वापसी।
8. मतदान हेतु ई.व्ही.एम तैयार किये जाने के लिये अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों को दिनांक व समय की सूचना जारी करना व ईव्हीएम तैयार किये जाने के लिए आवश्यक विश्वसनीय एवं सक्षम अधिकारियों की डियूटी लगाकर अपने समक्ष ईव्हीएम तैयार करना।
9. मतदान दल/प्रशिक्षण हेतु ईव्हीएम तैयार कर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रेण्डामाईजेशन कराना।
10. चुनाव आयोग से ईव्हीएम प्राप्त करना, जिले के स्ट्रॉंग रूम में भंडारण करने संबंधी कार्य।
11. ईव्हीएम की एफएलसी व मॉकपोल की कार्यवाही संपादित कराना।
12. ईव्हीएम का रेण्डामाईजेशन एवं उसके बाद ईव्हीएम विधानसभावार संबंधित विधानसभा के आरओ को प्रेषित करना।

13. निर्वाचन सामग्री के वितरण तथा प्राप्ति केन्द्रों को नियत कर आवश्यक संख्या में अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उसकी सूचना उप जिला निर्वाचन अधिकारी व प्राभारी अधिकारी मतगणना एवं प्रशिक्षण व सामग्री वितरण तथा वापसी एवं संबंधित अधिकारियों की ओर यथा समय भेजना।
14. मतगणना एवं स्ट्रांग रूम (दृढ़ कक्ष) हेतु चयनित भवन में मतगणना व्यवस्था करना।
15. आयोग के निर्देशानुसार स्ट्रांग रूम तैयार करवाना तथा कार्यपालन, यंत्री लोक निर्माण विभाग विदिशा से वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
16. मतगणना स्थल पर मतगणना हेतु बैठक व्यवस्था करना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार काउन्टिंग टेबिल्स आदि की व्यवस्था करना।
17. मतगणना स्थल पर आवश्यकता अनुसार टेंट, शामयाना, रोशनी, ध्वनि विस्तारक यंत्र जनरेटर पेट्रोमेक्स कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था करना।
18. उक्त कार्य हेतु वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर मतगणना एवं प्रशिक्षण तथा सामग्री वितरण और वापसी से संबंधित देयकों का सत्यापन करना, तत्पश्चात सभी बांछित हिसाब सहित अभिलेख जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना।
19. मतगणना स्थल पर मतगणना कर्मचारियों को शासन/अयोग के निर्देशानुसार स्वल्पाहार/भोजन व्यवस्था करना।
20. मतगणना के दिन दिये निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों एवं संबंधित लिफाफों निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुलिस बल की निगरानी में मतगणना स्थान तक पहुंचाने के लिए अलग से स्टाफ रहेगा उसका पर्यवेक्षण।
21. मतगणना के पश्चात् अंतिम परिणाम पत्रों की जाँच करना एवं जाँच उपरांत आवश्यक संख्या उनके सेट्स आदि तैयार करना।
22. मतगणना समाप्ति के पश्चात् उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों से शेष बची हुई कोरी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का हिसाब पंजीबद्ध कर रखना एवं शील्ड इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के परिनियत लिफाफों को लोहे के शील्ड बड़े बक्सों को जिला कोषालय के दृढ़ कक्ष में यथासमय रखना।
23. मतगणना के परिणाम विभिन्न प्रपत्रों में तैयार कराने के उपरांत निर्देशों के अनुरूप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल एवं भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली व अन्य की ओर प्रेषित कराना।
24. मतगणना के पश्चात् मतगणना परिणाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर भेजने के पश्चात ही टेब्युलेशन के लिये लगाये गये अधिकारी/कर्मचारियों को छोड़ा जाये।
25. अन्य महत्वपूर्ण गोपनीय अभिलेखों के शील्ड पैकेट एवं लिफाफे आदि जिला कोषालय से दृढ़ कक्ष में रखना।
26. मतगणना के पश्चात महत्वपूर्ण एवं गोपनीय अभिलेखों को (मुद्राबंद) सील करने के लिये सीलिंग दल विधानसभावार बनाया जाकर आदेश प्रसारित करना।
27. निर्वाचन कार्य एवं मतगणना स्थल पर अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
28. मतगणना के समय मतगणना अधिकारियों को लेखन सामग्री वितरण करने एवं वापिस प्राप्त के लिये आवश्यक अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति मतगणना प्रकोष्ठ अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी करना।
29. मतगणना के लिये नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का पास बनवाना एवं उन्हें वितरित करना।

30. जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
31. निर्वाचन संबंधी सामग्री को वितरण ओर प्राप्ति केन्द्रों तक पहुंचाने क व्यवस्था करना।
32. मतदान पश्चात मतदान सामग्री वापिस प्राप्त करने की व्यवस्था करना।
33. मतगणना के लिये लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के मतगणना के समय आवश्यकता के मान से लेखन सामग्री की व्यवस्था करना।
34. मतदान सामग्री वितरण एवं प्राप्ति स्थल का निर्धारण कराना।

सहायक अधिकारी

1. श्री लोकेन्द्र सरल अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर
2. श्री ब्रजेश शर्मा डिप्टी कलेक्टर विदिशा
3. श्री मिथलेश पाण्डेय, कार्यपालन यंत्री पी.डब्ल्यू.डी, विदिशा
4. श्री नरेन्द्र अवस्थी, जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग, विदिशा
5. श्री पवन अरोरा, कार्यपालन यंत्री सेतू विकास निगम, भोपाल
6. श्रीमती सविता पटेल, प्रभारी अधीक्षक, भू-अभिलेख विदिशा

सहायक कर्मचारी

श्री संजय जोशी सहायक ग्रेड-2 अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय विदिशा।

(4) श्री अश्विनी परिहार, कोषालय अधिकारी, विदिशा

सौंपे गये दायित्व :-

- मतपत्र मुद्रण
 - दृढ़ कक्ष (डबल लॉक) ई.व्ही.एम.
1. इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के बेलिट यूनिट हेतु मतपत्र शासकीय मुद्रणालय भोपाल अथवा ग्वालियर जैसे भी निर्देश हों, आवश्यकता के मान से मतपत्र/डाक मतपत्र प्राप्त कर तथा उनकी प्रथम जांच मुद्रणालय में ही करावें।
 2. मतपत्रों को जिला कोषालय में लाकर उनका मतदान केन्द्रवार विभाजन करते हुए पैकेट तैयार कराना तथा स्टाक रजिस्टर एवं मतदान दलों के मतपत्र रजिस्ट्रों में मतपत्रों के सीरियल क्रमांक आदि अंकित करना।
 3. मतपत्रों के पेकेट्स पर जिला निर्वाचन शाखा से चिटें प्राप्त कर चिपकवाना तथा उन पर मतपत्रों का सरल क्रमांक मतदान केन्द्रों का नाम एवं मतदान तिथि अंकित करना तथा उसके पश्चात डबल लॉक में सुरक्षित रखना।
 4. मतपत्रों के पेकेट उपजिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के बेलिट यूनिट में लगाने हेतु निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करना।
 5. मतदान के पश्चात प्राप्ति केन्द्र पर सीलड लिफाफे एवं सीलड इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों तथा पीठासीन अधिकारियों के द्वारा वापिस की गई सामग्री को प्राप्त करना तथा उनके रजिस्टर तैयार करना।
 6. इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का आयोग के निर्देशों के अनुसार चेक रजिस्टर तैयार करना।
 7. पेपर सीलों का प्रदाय करने के लिये मतदान केन्द्रवार प्रविष्टियों करना तथा विधानसभा क्षेत्रवार रजिस्टर तैयार करवाना सीलों को लिफाफों में रखवाना तथा लिफाफों पर सीलों का सरल क्रमांक मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक तथा मतदान की तारीख अंकित करवाना।

सहायक अधिकारी :-

1. श्री अश्विनी परिहार, कोषालय अधिकारी, विदिशा अपने स्तर से अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी स्वयं लगा सकेंगे। कोषालय कर्मचारी अन्य निर्वाचन कार्य से मुक्त रहेंगे।

(5) श्री बी.डी. अहिरवार सूचना सहायक, जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय विदिशा

सौंपे गये दायित्व :-

सूचना प्रकाशन प्रकोष्ठ :-

1. निर्वाचन संबंधी समाचारों का नियमित समाचार पत्रों व न्यूज एजेंसियों को प्रदाय करनी
2. जिलास्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं व्यय अनुवीक्षण समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य एवं आवश्यक बैठकों को समयाविध में आयोजित कर कार्यवाही विवरण जारी करना।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

सहायक कर्मचारी :-

श्री उदय हजारी जिला नाजिर कलेक्टर कार्यालय विदिशा

उपरोक्त के अलावा पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेगा। समस्त अधिकारी/कर्मचारी जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सौंपे गये कार्यों के अतिरिक्त कार्य भी इन अधिकारियों/कर्मचारियों को समय समय पा सौंपा जा सकेगा। सभी प्रभारी अधिकारी उन्हें सौंपे गये कार्यों के संबंध में की जाने वाली कार्यवाहियों की नस्तियां संधारित करेंगे तथा कार्य की प्रगति से प्रतिदिन निर्वाचन शाखा के माध्यम से मुझे प्रस्तुत की जावेगी।

कार्य समाप्ति के पश्चात समस्त अभिलेख तैयार कर सूची सहित जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करेंगे। सभी प्रभारी अधिकारी कार्य विभाजन आदेश में उल्लेखित अनुसार कार्य जो एक से अधिक अधिकारियों की भागीदारी में संपादित किये जाने हैं। वे सभी अधिकारी एक दूसरे से परस्पर समन्वय/वार्ता उपरांत निर्वाचन कार्य को सरलता पूर्वक एवं सुचारू रूप से संपादित कराने के लिये दत्तरदायी रहेंगे। किसी भी प्रकार की विसंगति अथवा भ्रांति की दशा में उसका समाधान अपर कलेक्टर/अपर कलेक्टर (विकास) अथवा उप जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निराकरण करावेंगे।

सभी प्रभारी अधिकारी उनको सौंपे गये प्रकोष्ठ के कार्यों से संबंधित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देश इत्यादि की प्रति निर्वाचन पर्यवेक्षक जिला निर्वाचन (सामान्य) कार्यालय विदिशा से तत्काल प्राप्त करे तथा विधानसभा चुनाव 2018 चेक लिस्ट, का भी अध्ययन कर चेक लिस्ट अनुसार कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करने के लिये उत्तरदायी रहेगे।

कोई भी अधिकारी अपने स्तर से किसी भी कर्मचारी को आदेश जारी कर ड्यूटी में नहीं लगायेगे इस हेतु आवश्यकता होने पर मतदान दल गठन प्रकोष्ठ/उप जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावेगे।

जिन अधिकारी/कर्मचारियों की प्रकोष्ठ में ड्यूटी लगाई गई है। उन्हें संबंधित कार्यालय प्रमुख/प्रभारी अधिकारी तत्काल भार-मुक्त कर संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला विदिशा म.प्र.

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल ।
2. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ।
3. पुलिस अधीक्षक विदिशा ।
4. अपर कलेक्टर विदिशा ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पदेन अपर कलेक्टर विकास विदिशा ।
6. डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी
स्थापना / भू-अभिलेख / नजूल / खनिज / एस / डब्ल्यू.बी.एन. / सिविल सूट कलेक्ट्रेट
विदिशा ।
7. अनुविभागीय अधिकारी
विदिशा / बसौदा / सिरोंज / करवाई / लटेरी / शमशाबाद / नटेरन / ग्यारसपुर ।
8. संचालक, एस.ए.टी.आई (डिग्री) विदिशा ।
9. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग विदिशा ।
10. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यंत्रिकीय सेवा, विदिशा ।
11. उपसंचालक लोक शिक्षण जिला विदिशा ।
12. जिला योजना अधिकारी जिला विदिशा ।
13. जिला कोषालय अधिकारी विदिशा ।
14. सहयक संचालक जन संपर्क विदिशा ।
15. जिला सांख्यिकी अधिकारी विदिशा ।
16. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी विदिशा ।
17. जिला रोजगार अधिकारी विदिशा ।
18. खाद्य अधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय विदिशा ।
19. जिला परिवहन अधिकारी विदिशा ।
20. जिला शिक्षा केन्द्र विदिशा ।
की ओर प्रेषित । प्रभारी अधिकारी के साथ लगाये गये अधिकारी / कर्मचारी को आज ही
भार-मुक्त कर इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें ।
21. तहसीलदार
विदिशा / बसौदा / सिरोंज / कुरवाई / लटेरी / ग्यारसपुर / नटेरन / त्योंदा / गुलाबगंज /
पठारी / शमशाबाद ।
22. अधीक्षक कलेक्ट्रेट / भू-अभिलेख जिला विदिशा ।
23. स्टेनो-टू-कलेक्टर विदिशा ।
24. मुख्य नगर पालिका अधिकारी विदिशा ।
की ओर सूचनार्थ ।
25. सर्व संबंधित अधिकारी / कर्मचारी श्री
की ओर भेजकर लेख है कि आपको सौंपे गये दायित्वों के संबंध में आयोग के निर्देशों
का अध्ययन कर मेरे संमक्ष प्रस्तुतिकरण हेतु तैयारी करें । प्रस्तुतिकरण का समय एवं
तिथि शीघ्र ही सूचित किया जाएगा ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला विदिशा म.प्र.